संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ0ग0)

ब्लाक –1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) पिन– 492002

दूरभाष कं–2253808–फैक्स नं.–2254234 e-mail-lfacg.cg@nic.in web site- www.lfa.cg.nic.in

आदेश क –95/2016

नया रायपुर दिनांक– 6/12/2016

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, (छ.ग.) रायपुर के अन्तर्गत सहायक संपरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम सूची के प्रावीण्यता के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित प्रतीक्षा सूची में से सारणी के स्तम्भ कमांक– 2 में उल्लेखित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक संपरीक्षक (अराजपत्रित) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बेण्ड रू. 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन रू. 2400.00 एवं शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते, में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाकर उनकी पदस्थापना सारणी के स्तम्भ कमांक–3 में दर्शाए गए कार्यालय में की जाती है :–

क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	पदस्थापना कार्यालय (संचालनालय/क्षेत्रीय कार्यालय) का नाम	चयन का प्रवर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ASHISH KUMAR ARYA / DEVENDRA KUMAR YADU	संचालनालय	अनारक्षित – मुक्त
2	MOHAMMAD SUHAIL/ MOHAMMAD ANWAR	संचालनालय	अनारक्षित – मुक्त
3	SAURABH KASHYAP/ DUSHYANT KUMAR KASHYAP	संचालनालय	अनारक्षित – मुक्त
4	MADHURI JAISWAL / SURESH KUMAR JAISWAL	बिलासपुर	अ.पि.व. महिला (बैकलॉग)
5	RAJESHWARI SHARMA / PRAKASH MANI SHARMA	संचालनालय	अनारक्षित महिला
6	BHUPENDRA KUMAR PATIL / MANOHAR LAL	संचालनालय	अ.जा. मुक्त बैकलॉग
7	GIRISH CHANDRA BELSARIYA / TRINATH BELSARIYA	जगदलपुर	अ.ज.जा. मुक्त
8	JEETENDRA KUMAR KANWAR / HORI SINGH	संचालनालय	अ.ज.जा. मुक्त
9	YOGESH KUMAR RATRE / BALRAM RATRE	राजनांदगांव	अ.ज.जा. मुक्त
10	DIGVIJAY DAS MAHANT / SUNIL DAS MAHANT	अंबिकापुर	अ.पि.व. निःशक्त

सहायक संपरीक्षकों को नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

1. सहायक संपरीक्षक को दिनांक 03.01.2017 तक पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक तक अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति का स्वत्व (क्लेम) स्वमेव समाप्त माना जाएगा। इस संबंध में कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–13–14/2009/आ.प्र./1–3 रायपुर दिनांक 16.03.2012 अनुसार, की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक रिट पिटी. (सी.) 591/2012 याचिका कमांक रिट पिटी. (सी.) 592/2012 याचिका कमांक रिट पिटी. (सी.) 593/2012 याचिका कमांक रिट पिटी. (सी.) 594/2012 पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

3. शासकीय सेवा के दौरान उपरोकक्त सहायक संपरीक्षक छ.ग. राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1967, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे।
4. नियुक्ति, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी एवं परिवीक्षा अवधि में कार्य संपादन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षाधीन अवधि बढ़ाई जा सकती है अथवा सेवा समाप्त की जा सकती है। परिवीक्षा अवधि में कार्य संपादन संतोषप्रद पाए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति स्थाई की जावेगी।
5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा नियुक्ति, किसी भी समय, किसी भी पक्ष की ओर से, बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना पर समाप्त की जा सकेगी या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी द्वारा सेवा समाप्ति का नोटिस देने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जाएगा कि उसने अनुपस्थिति की तिथि से ही सेवा छोड़ दी है, तथा एक माह की नोटिस अवधि में वह, जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा शासकीय सेवा छोड़ने के पूर्व एक माह की नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते के भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त कंडिका 4 के अंतर्गत देय रकम उक्त व्यक्ति से इस प्रकार वसूली योग्य होगी, जिस प्रकार भू–राजस्व की बकाया धनराशि की वसूली की जाती है।
7. कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व उन्हे किसी केन्द्रीय अथवा राजकीय विज्ञप्त पदाधिकारियों अथवा वैतनिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संलग्न प्रारूप में चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिसमें उनके संबंध में कम से कम दो वर्षों का संदर्भ दिया गया हो।
8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालय के सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
9. अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय को नियुक्ति के पूर्व दी गए कोई भी जानकारी एवं प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर उन्हे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
10. नियुक्त अभ्यर्थी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नही होंगे, इन पर राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
11. नियुक्त सहायक संपरीक्षक यदि किसी भी शासकीय/अर्द्ध–शासकीय/शिक्षाकर्मी इत्यादि की सेवा में कार्यरत हों तो उन्हे संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी आदेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में कोई विपरीत टीप/अपराधिक प्रकरण लंबित होने पर अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
13. नियुक्ति स्थल पर उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। अभ्यर्थी को भविष्य में इस विभाग के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय अथवा संचालनालय, स्थानीय निधि सपरीक्षा रायपुर में आवश्यकतानुसार जनहित अथवा प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

14. उक्त पद के कार्य संपादन हेतु निरंतर वर्ष पर्यन्त प्रवास पर रहना हो सकता है, मुख्यालय में ही पदस्थापना उनका अधिकार नहीं होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदो के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

(प्राधिकार :– संचालक आदेश दिनांक 28.11.2016)

05/12/16

संयुक्त संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा/1238 नया रायपुर दिनांक 6/12/2016

प्रतिलिपि:--

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, केपिटल कॉम्पलेक्स, महानदी भवन, मंत्रालय--नया रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।
2. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया छ.ग. शासन की वेबसाईट **www.cgstate.gov.in** पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
6. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, नया रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त नवनियुक्ति उम्मीदवारों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु कृपया संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।
7. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. स्थापना प्रभारी संचालनालय, रायपुर /उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि वे
   5. कृपया सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक/1530/829/1/(3) 61 दिनांक 13.06.1981 तथा 334--सी--आर--451--1(3) 61 दिनांक 06.02.1982 में निर्धारित अनुसार संबंधित से शुल्क रूपये 1.00 जमा करवा कर उनसे कर्तव्य निष्ठा की शपथ निर्धारित फार्म में लेवें।
   6. संबंधित द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से इस संचालनालय को सूचित करें। किसी भी व्यक्ति को उसकी उपस्थिति हेतु निर्धारित दिनांक के पश्चात् उपस्थित होने की अनुमति न दी जावे ।
   7. संबंधित चयनित अभ्यर्थी की व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त स्वहस्ताक्षरित फोटो की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि संबंधित के उपस्थित होने पर उनके मूल पहचान पत्र से मिलान कर लेवें।
   8. संबंधित चयनित अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण--पत्रों से सत्यापित छायाप्रतियों का मिलान कर छायाप्रतियों को संबंधित की मूल नस्ती में रखें।
9. श्री अजय देवागंन एन.आई.सी. कक्ष, संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. संबंधित श्री/सुश्री/श्रीमती ....की ओर पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कार्य पर उपस्थिति के समय संलग्न बायोडाटा फार्म में जानकारी प्रस्तुत करें।
11. कार्यालयीन आदेश पुस्तिका हेतु।

05/12

संयुक्त संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
नया रायपुर (छ.ग.)